2024/114

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

ग्राम सेवा सहाकारी समिति लाधूवाला जरिये अध्यक्ष निर्मल सिंह बनाम गौरीशंकर वगैरा

अपील प्रकरण सं0 37/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :– मेहश दादरवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्टः–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
26.07.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकिचक 25 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 25,39,41 की 6.7810 हैक्टर आराजी में से 1421/6781 यानि 1.421 हैक्टर आराजी अपीलाण्ट शाखा का ऋण होने के बावजूद इन्तकाल संख्या 541 दिनांकित 16.07.2024 स्वीकृत किया गया है जो प्रथमदृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 02 को पाबन्द किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक तहसील श्रीगंगानगर इन्तकाल संख्या 541 दिनांकित 16.07.2024 में दर्ज भूमि चक 25 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 25,39,41 की 6.7810 हैक्टर आराजी में से 1421/6781 यानि 1.421 हैक्टर भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। अपीलार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिशिचित करें। उक्त पालना में विफल रहने पर उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 28.08.2024 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	
6/8/2024	अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। अपीलार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में जेरकार है। रेस्पोडेन्टस द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के लोन की राशि का भुगतान कर दिया है जिसकी एन.ओ.सी. शामिल प्रार्थना पत्र है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो गया है। अब दोनो पक्षों के मध्य अपील में दर्ज किये गये कथनों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहा है, इसलिए अपीलांट/अपीलार्थी अपील को आगे न चलाकर अपील को दाखिल दफ्तर करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी अपील में आयन्दा कोई सुनवाई न कर अपील को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश प्रदान करें। फलस्वरूप अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस का आपस में राजीनामा हो जाने के कारण एवं उनके द्वारा उक्त अपील को आगे न चलाकर दाखिल दफ्तर करवाने पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। आदेश सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)	